



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4077] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2019/अग्रहायण 28, 1941

No. 4077] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2019/AGRAHAYANA 28, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4542(अ).—केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 जनवरी, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. यू-11011/2/2019-यूटीएल]

गोविन्द मोहन, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2019

S.O. 4542(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Act, 2019 (44 of 2019), the Central Government hereby appoints the 26th day of January, 2020 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. U-11011/2/2019-UTL]

GOVIND MOHAN, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4543 (अ).—केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 जनवरी, 2020 को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नियत तारीख के रूप में नियत करती है।

[फा. सं. यू-11011/2/2019-यूटीएल]

गोविन्द मोहन, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2019

S.O. 4543(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Act, 2019 (44 of 2019), the Central Government hereby appoints the 26th day of January, 2020, as the appointed day for the purposes of the said Act.

[F. No. U-11011/2/2019-UTL]

GOVIND MOHAN, Addl. Secy.